

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25258-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०११

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द “२५,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “२,५०,००० रुपये” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द “५०,००० रुपये” के स्थान पर, अंक और शब्द “१०,००,००० रुपये” स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विगत १०-१५ वर्षों में भू-सम्पत्ति के बाजार मूल्य में अनेक गुना वृद्धि हुई है. इसी दौरान, मुद्रा स्फीति के दबाव के कारण, हाल ही के वर्षों में रुपये का मूल्य अत्यधिक नीचे गिर गया है. भू-सम्पत्ति के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण बहुत कम संख्या में सिविल वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालयों में फाइल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी धन संबंधी अधिकारिता की सीमा क्रमशः २५,००० रुपये और ५०,००० रुपये तक ही है. परिणामतः, कई सिविल वाद जिनमें भू-सम्पत्ति से संबंधित विवाद अन्तर्वर्तित हैं, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में फाइल किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का बहुत अधिक भार है.

२. वादियों को आसानी से न्याय प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमाओं में यथोचित वृद्धि की जाए. इससे जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना और आसान हो जाएगा और वादियों को अधिक न्याय प्राप्त होगा. अतएव, जिला स्तर पर आसानी से न्याय प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में यथोचित संशोधन द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रुपये २५,००० से रुपये २,५०,००० तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रुपये ५०,००० से १० लाख बढ़ाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २२ नवम्बर, २०११

डॉ. नरोत्तम मिश्र

भारसाधक सदस्य.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 7029-408-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 37 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH CIVIL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2011

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 6.

2. In Section 6 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), in sub-section (1),—

- (i) in clause (a), for the word and figures “Rupees 25,000”, the word and figures “Rupees 2,50,000” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the word and figures “Rupees 50,000”, the word and figures “Rupees 10,00,000” shall be substituted;

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In past 10-15 years there has been manifold increase in the market value of landed property. At the same time the value of rupee has considerably gone down in recent years due to inflationary pressure. Due to acute rise in the prices of landed property lesser and lesser number of Civil Suits are being filed before the Courts of Civil Judge Class-II and Civil Judge Class-I as the limit of their pecuniary jurisdiction is up to Rs. 25,000/- and 50,000/- respectively. Consequently, many civil suits involving disputes regarding landed property are being filed before the Court of District Judge which are already over-burdened with various other type of cases.

2. In order to facilitate easy access to justice to the litigants it is found expedient to suitably raise the limits of pecuniary jurisdiction of the Courts of Civil Judge Class-II and Civil Judge Class-I. This will further facilitate the filing of appeal at district level itself before the Court of District Judge and will enhance access to justice to litigants. Therefore, with a view to secure easy access to justice at District level it is proposed to increase the limits of pecuniary jurisdiction of the Court of Civil Judge Class-II from Rs. 25,000/- to Rs. 2.5 lacs and the Court of Civil Judge Class-I from Rs. 50,000/- to Rs. 10 lacs by suitable amendment in Section 6 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958).

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 22nd November 2011.

Dr. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge.